न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 03/2021 जिला सीकर।

1. धन्नाराम पुत्र कजोडमल (मृतक) जरिये
   1/1. मनोहरलाल दत्तक पुत्र धन्नाराम
2. प्रभूराम पुत्र कजोडमल
3. सोहन लाल पुत्र कजोडमल
   समस्त जाति बलाई निवासी माण्डोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

अपीलान्टस्

बनाम

1. छोटी देवी पत्नी श्यामलाल पुत्री नून्दाराम जाति बलाई निवासी हुकमपुरा, तहसील सीकर जिला सीकर।
2. केसरी देवी पत्नि छीतरमल पुत्री नून्दराम जाति बलाई निवासी रेता, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. फूसाराम पुत्र नून्दाराम (मृतक) जरिये
   3/1. भंवरलाल पुत्र फूसाराम
   3/2. राजेन्द्र पुत्र फूसाराम
   3/3. जगदीश पुत्र फूसाराम
   3/4. छिगन पुत्र फूसाराम
   3/5. बिदामी पत्नि फूसाराम
   जाति बलाई निवासी माण्डोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
   3/6. संतोष पत्नी भंवरलाल पुत्री फूसाराम
   3/7. मंगली पतनी चुन्नीलाल पुत्री फूसाराम
   जाति बलाई निवासी नयावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
   3/8. पवनी पत्नी गोपालराम पुत्री फूसाराम
   3/9. श्रवणी पत्नी राजपाल पुत्री फूसाराम
   जाति बलाई निवासी भोजासर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
   3/10. जीवणी पत्नी सीमाराम पुत्री फूसाराम जाति बलाई निवासी घाणा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
4. किशनराम पुत्र नून्दाराम (मृतक) जरिये
   4/1. सुशील कुमार दत्तक पुत्र किशनाराम जाति बलाई निवासी माण्डोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
   4/2. सुरज्ञान पत्नी मदनलाल पुत्री किशनाराम जाति बलाई निवासी पलसाना उपतहसील पलसाना जिला सीकर
   4/3. गीतादेवी पत्नी भंवरलाल पुत्री किशनाराम जाति बलाई निवासी पलसाना उपतहसील पलसाना जिला सीकर।
5. श्योपाल राम पुत्र नून्दाराम
6. रामपाल पुत्र नून्दाराम
7. ताराचन्द पुत्र नून्दाराम
8. भागूराम पुत्र नून्दाराम
   समस्त जाति बलाई निवासी माण्डोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
9. ग्राम पंचायत रलावता जरिये सरपंच तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर दिनांक 17.05.2017 अन्तर्गत राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील 18/2016

उपस्थित—

1. अधिवक्ता अपीलान्टस श्री श्यामबाबू पारीक।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक—12.10.2021

1. यह द्वितीय अपील उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 17.05.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 27.01.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर द्वारा शीर्षक अपील संख्या 18/2016 उनवान छोटीदेवी बनाम फूसाराम में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2017 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.1983 बतस्दीक ग्राम पंचायत रलावता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि मृतक नून्दाराम के वारिसान के संबंध में समुचित जांच कर सभी वारिसान के नाम पुनः नामान्तकरण भरवाकर तस्दीक करे।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्टस् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2017 को निरस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 5.11.1983 बतस्दीक ग्राम पंचायत रलावता कायम रखे जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटस् 3/10, 4 से 9 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अधिवक्ता अपीलांटस् उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3/1 से 3/9 अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलांटस् की बहस सुनी गई।
5. अपीलांटस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 513, 538 से 542, 568 कुल किता 7 रकबा 3.00 है0 जिसके साबिक नं0 88 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा में हिस्सा 1/2, हाल भूमि खसरा नम्बर 453 रकबा 1.30 है0 , 494 रकबा 1.32 है0 जिसके साबिक नं0 101 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 461 रकबा 1.05 है0, 462 रकबा 1.38 है0 जिसके साबिक नम्बर 105 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 498 रकबा 0.90 है0, 637/499 रकबा 0.43 है0, 640/502 रकबा 1.34 है0, 512/627 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 500 रकबा 0.01 है0, 501 रकबा 0.90 है0, 543 रकबा 0.10 है0, 638/499 रकबा 0.27 है0, 639/502 रकबा 0.06 है0 कुल रकबा 4.25 है0 जिसके साबिक नम्बर 124/2 रकबा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 124/1 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम माण्डोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित है। उक्त समस्त भूमि नून्दाराम पुत्र झुंथा की खातेदारी में रही है। नून्दाराम के स्वर्गवास होने पर विवादित भूमि नून्दाराम के पुत्रान व पत्नी के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 5.11.1983 को स्वीकार कर खातेदारी में अंकन कर दी गई। अपीलांटान द्वारा आराजी खसरा नम्बर 124/1 व 124/2 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा जरिये पंजीकृत विक्रय लेख पत्र दिनांक 23.11.1983 को रेस्पोडेंट संख्या 03 फूसाराम, रेस्पोडेंट संख्या 4 किशनाराम, रेस्पोडेंट संख्या 5 श्योपाल, रेस्पोडेंट संख्या 6 रामपाल, रेस्पोडेंट संख्या 7 ताराचन्द, रेस्पोडेंट संख्या 8 भागूराम व इनकी माता जड़ावली से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया व क्रेतागणो के नाम नामान्तकरण संख्या 100 स्वीकृत हो गया। अपीलांटान भूमि को क्रय करने के पश्चात से काबिज है एवं काश्त कर रहे है। यही नही विवादित भूमि पर अपीलाटान ने रहने के मकानात, नोहरा, बाड़ा बना रखा है, टयूबवेल बना रखे है उन पर कृषि कनेक्शन ले रख है तथा बैंक से लोन ले रखा है। उक्त भूमि का अपीलांटान ने बटवारा कर लिया व बटवारे के आदेश में पश्चात जमाबंदी में अमल हो गया है। रेस्पोडेंट संख्या 01 छोटी देवी द्वारा आज तक न तो अपीलांट के पक्ष में तस्दीक विक्रय पत्र को चैलेन्ज किया गया न ही उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण को चैलेन्ज किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 जो कि अपने आप को माण्डोली की निवासी कहते हुये प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जबकि उसका विवाह काफी समय पूर्व हो गया था व अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ निवास करती है तथा उसका वोटर आई.डी

राजस्व मंडल राजस्थान ... अजमेर

Scanned by CamScanner

कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि सभी हुकमपुरा सुसराल के बने हुये है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अपना व अपनी बहन का जो पता दिया जाकर अपना शथ पत्र दिया है वह झुंठा साबित हो जाता है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 1983 को पारित आदेश के विरूद्ध करीब 33 वर्ष पश्चात यह अपील प्रस्तुत की है एवं उसके द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान में तहसील कार्यालय में वैबसाईट पर देखने की बात कही व उससे नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 5.11.1983 की जानकारी दिनांक 15.6.2016 को हुई होना कथन किया गया है जो की आधारहीन व झुठा हैं। वर्ष 2016 की वैबसाईट में उक्त नामान्तकरण का कोई उल्लेख नही है। छोटी देवी पढी लिखी नही है। नकल का आवेदन पत्र नही दिया गया है बल्की अन्य द्वारा नकल ली गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के मद संख्या 03 में संयुक्त रूप से रेस्पोडेन्टान के साथ कब्जे में होने का कथन किया है जबकि रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 व जड़ाव देवी ने विवादित भूमि को अपीलांटान को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.11.83 को ही विक्रय कर दिया गया था। रेस्पोडेंट 3 से 8 द्वारा विक्रय पत्र में कब्जे का उल्लेख है कि जिस कारण भी अपील व प्रार्थना पत्र धारा 5 में दर्ज कथन असत्य साबित थे। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने सही रूप में कोई विचार न कर निर्णय देने में गंभीर भूल की हैं। छोटी देवी द्वारा 33 वर्ष पश्चात अपील करना व अपील में अपीलांटान को पक्षकार न बनाना एवं अपील में गलत तथ्य अंकित करना एवं झूंठा शपथ पत्र देने से स्पष्ट है कि अपील मियाद बाहर थी। यदि छोटी देवी के कोई अधिकार थे तो वह नियमित दावा बावत विक्रय पत्र निरस्त करवाकर ही प्राप्त कर सकती थी। विक्रय पत्र को निरस्तीकरण का दावा की मियाद 3 वर्ष है एवं अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0 एक्ट बेदखली के दावे की मियाद 12 वर्ष है लेकिन छोटी देवी द्वारा दावा न कर बिना विक्रय पत्र को निरस्त करवाये जो अपील पेश की गई है वह निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के सहज एवं प्राकृतिक नियमो के प्रतीकुल होने से निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलांटस् का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.5.2017 निरस्त फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 5.11.1983 बतस्दीक ग्राम पंचायत रलावता कायम रखा जावे।

6. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांटस् के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार नून्दाराम पुत्र झूथा जाति बलाई की विरासत के नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 5.11.1983 बतस्दीक ग्राम पंचायत रलावता के संबंध में है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेंट् संख्या 1 के द्वारा अंधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के समक्ष अपील पेश कर कथन किया गया कि अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01) एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 02 से 8) के पिता एवं रेस्पोडेंट संख्या 8 के पति स्व0 नून्दाराम के कब्जे एवं खातेदारी की कृषि भूमियां हाल आराजी खसरा नम्बर 513, 538 से 542, 568 कुल किता 7 रकबा 3.00 है0 जिसके साबिक नं0 88 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा में हिस्सा 1/2, हाल भूमि खसरा नम्बर 453 रकबा 1.30 है0, 494 रकबा 1.32 है0 जिसके साबिक नं0 101 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 461 रकबा 1.05 है0, 462 रकबा 1.38 है0 जिसके साबिक नम्बर 105 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 498 रकबा 0.90 है0, 637/499 रकबा 0.43 है0, 640/502 रकबा 1.34 है0, 512/627 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 500 रकबा 0.01 है0, 501 रकबा 0.90 है0, 543 रकबा 0.10 है0, 638/499 रकबा 0.27 है0, 639/502 रकबा 0.06 है0 कुल रकबा 4.25 है0 जिसके साबिक नम्बर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

124/2 रकबा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 124/1 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम माण्डोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित है। उक्त भूमियो पर अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01) एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 02 से 8) अपने पिता और रेस्पोडेंट संख्या 8 के पति के जीवनकाल से ही संयुक्त रूप से काश्त कर उपयोग उपभोग में करते आ रहे है। नून्दाराम का स्वर्गवास दिनांक 02.02.1983 को हो जाने के पश्चात उसकी खातेदारी भूमियो का कानूनन रूप से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 के तहत अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01) एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 8 के नाम नामान्तकरण दर्ज होकर अमल दरामद होना था किन्तु अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01) के हक हिस्से को हडपने की नियत से एवं अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01) को अपने पिता के हिस्से की संपति से वंचित करने की गरज से रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 व 8 ने अपने अकेले के नाम से रेस्पो. सं. 9 से साज कर नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 5.11.1983 बतस्दीक ग्राम पंचायत रलावता से अपने नाम से नामान्तकरण की कार्यवाही करवा ली। जिसे खारीज कर उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात का नामान्तकरण अपीलांट(वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01) व रेस्पोडेंट संख्या 8 के नाम किये जाने का आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की गई। अपीलांट्स (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1) द्वारा प्रस्तुत अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.1983 बतस्दीक ग्राम पंचायत रलावता खारीज कर प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि मृतक नून्दाराम के वारिसान के संबंध में समुचित जांच कर सभी वारिसान के नाम पुनः नामान्तकरण भरवाकर तस्दीक करे।

7. हम समझते है कि रेस्पोडेंट् संख्या 01 द्वारा विवादित नामान्तकरण संख्या 98 की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 33 वर्ष पश्चात मियाद बाहर पेश की गई है तथा नामान्तकरण की जानकारी प्रथम अपील पेश करने से लगभग 20 दिन पूर्व नकल प्राप्त होने पर बताया गया है। उक्त तथ्य स्वीकार नही किया जा सकता है क्योकि रेस्पोडेंट् संख्या 01 द्वारा नामान्तकरण संख्या 98 की अपील अत्यधिक विलम्ब लगभग 33 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा उक्त अवधि में रेस्पोडेंट संख्या 01 को विवादित नामान्तकरण संख्या 98 की जानकारी का अभाव हो यह संभव नही हैं साथ ही रेस्पोडेंट संख्या 01 एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 सगे भाई बहन है इस कारण भी विवादित नामान्तकरण की जानकारी का अभाव हो यह संभव नही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.5.2017 में नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 5.11.1983 के गुणावगुण पर कोई विवेचन नही किया गया है। मात्र अपीलार्थी (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01) द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यो को कयास के आधार पर सही मानते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। नामान्तकरण एक फिस्कल प्रविष्टि होती है तथा प्रश्नगत नामान्तकरण के पश्चात भी अन्य परिवर्तन प्रविष्टियो में हो चुके है। मृतक खातेदार नून्दाराम पुत्र झूथा की विरासत का नामान्तकरण सख्या 98 उनकी मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 एवं उनकी माता जडाव देवी के पक्ष में ग्राम पंचायत रलावता द्वारा दिनांक 05.11.1983 को तस्दीक किया गया था। रेस्पोडेंट संख्या 03 से 8 एवं उनकी माता जडाव देवी के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 124/2 रकबा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 124/1 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम माण्डोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.11.1983 को अपीलांटस् धन्नाराम, सोहन लाल, प्रभूराम पुत्रगण कजोडराम जाति बलाई के पक्ष में तस्दीक किये जाने पर अपीलांटस् के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 100 ग्रम पंचायत रलावता द्वारा तस्दीक किये जाने के उपरान्त उपरोक्त विवादित भूमि की खातेदारी अपीलांटस् के पक्ष में दर्ज की गई थी। अपीलान्टस् विवादित भूमि में खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.1983 बतस्दीक ग्राम पंचायत रलावता से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एकतरफा तथा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित नामान्तकरण से प्रभावित समस्त पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

9. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

12/10/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/10/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner